कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा

Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com , Tel. pho. 0744-2502142

क्रमांकः– ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7536-48 दिनांकः–09/07/25

–:: ई निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कार्यादेश से एक वर्ष (2025–26) तक के लिये **2 Bid 2 Stage (पद्धति) के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया** द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	धरोहर राशि 2%	ठेका आरक्षित राशि
1	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "ए"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	27390/–	13,69,500/–
2	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "बी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	28314/–	14,15,700/–
3	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "सी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	24134/–	12,06,700/–
4	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "डी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	26862/–	13,43,100/–

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम की वेब साईट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-kota-south/en/home-html एव http://sppp.rajasthan.gov.in तथा **https://eproc.rajasthan.gov.in/** से देख एवं डाउनलोड कर सकते है तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है।

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
अपेक्षित डी0डी0 एवं दस्तावेज जमा कराने की दिनांक	31.7.25 सांय 04.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	1.8.25 सांय 03.00 बजे तक
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत

उपरोक्त कार्य के लिये निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम निर्धारित दिनांक 31.7.25 को सांय 4.00 बजे तक अनुसार राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा दक्षिण के "ए" ब्लॉक में प्रथमतल पर कमरा नं0 238 में पहुंच जाना चाहिये। उक्त निविदा नियत तिथि को ऑनलाईन खोली जावेगी। स्वीकृत ठेका राशि पर 18% GST एंव किसी भी प्रकार का प्रचलित कर संवेदक स्वंय को वहन करना होगा।

नोटः–

1. **उक्त राशि एक वर्ष हेतु निर्धारित है जिसके लिये संवेदक को सम्बन्धित कार्य की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात् ही कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी, अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर दी जावेगी जिसके लिए किसी तरह का कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही होगी।**
2. **केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड फर्म/संवेदक निविदा में भाग नही ले सकेगा।**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.1

– ननिकोद/उपा.रा./2025/7536–48 दिनांकः–09/07/25

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण
9. राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा दक्षिण।
10. **पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संभाग स्तरीय संस्करण दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करावें।**
11. कार्यालय अधीक्षक सामान्य, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
12. प्रभारी अधिकारी, NIC को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य लोक उपापन समिति SPPP Portal पर करना सुनिश्चित करें।
13. नोटिस बोर्ड चस्पा/गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

—: तकनीकी बिड :—

Latest Colour Photo With Self Attestation

1. कार्य का नामः— डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क

   पार्ट "ए" (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न

2. कार्य की अवधि :— कार्य आदेश से एक वर्ष (2025—26) हेतु।
3. **निविदादाता का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो बॉक्स में चस्पा करें।**
4. **निविदादाता स्वंय के स्थाई अंकित पते की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। फोटो एवं स्थाई अंकित पते के पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।**
5. **आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।**
6. **बैंक खाते की पासबुक व कैंसिल चैक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें।**
7. **दो वर्षो 2022—23 व 2023—24 की आयकर रिटर्न स्व.प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।**
8. **व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आई0डी0 की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।**
9. **डी.डी. निविदादाता/फर्म के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।**
10. **निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
11. **सफल संवेदक को बिड राशि की 5 प्रतिशत राशि परफॉरमेन्स गारण्टी बैंकर्स चैक/डी.डी. जमा करवानी अनिवार्य होगी।**
12. **जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।**
13. **फर्म द्वारा इस आशय का 100/— शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति पर नगर निगम कोटा दक्षिण राजस्व अनुमाग की कोई राशि बकाया नही है।**
14. **EPF एवं ESI विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर काई विचार नहीं किया जावेगा।**
15. **राशि 100/— के स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

<u>नोट :—</u> तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं0 3 से 15 तक के दस्तावेज साफ पढने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनिकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज्र के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

....

मो0नं0 :—..

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

—:: वित्तीय बिड़ ::—

1. कार्य का नाम	:—	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क पार्ट "ए" (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न
2. कार्य की अवधि	:—	कार्य आदेश से एक वर्ष (2025—26) हेतु
3. अनुमानित राशि	:—	13,69,500 / —
4. वित्तीय बिड़ खोलने की तिथि	:—	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. निविदादाता का नाम व स्थाई पता मय फोन नं0	:—	....
6. निविदादाता द्वारा दी गई ठेका राशि (प्रतिवर्ष)	:—	दर अंको / शब्दों में BOQ में प्रस्तुत करें।

मैं संलग्न शर्तो / निर्देशो को भली—भांती अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ एवं पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

....

मो0नं0 :—..

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (पार्ट–''ए'')

नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में कार्य आदेश से एक वर्ष (2025–26) के लिये वार्षिक ठेका डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क (साईज 30'' X 40'') वर्ग इंच दो तरफा की निविदा की शर्तें:–

1. लघु विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की अवधि कार्य आदेश से एक वर्ष के लिये मान्य रहेगी।
2. निविदा के साथ संवेदक को अपने बैंक खाते की पासबुक सत्य प्रतिलिपि व आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा साथ ही पिछले दो वर्षो **2022–23 व 2023–24** का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 ''मैनेजिंग डायरेक्टर'' आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय हों, संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पर आवेदक द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लगाकर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कराना होगा साथ ही आवेदन पत्र के साथ दो वर्षो **2022–23 व 2023–24 के** आयकर रिटर्न की प्रति व अपने निवास स्थान एवं व्यावसायिक संस्थान का पूर्ण पता स्वःहस्ताक्षर से प्रमाणित कर संलग्न करना होगा। उक्त निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेब साईट **udh.rajasthan.gov.in.nnks** एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टेल (RSPPP) से प्राप्त की जा सकती है। राजस्व अनुभाग द्वारा कोई निविदा विक्रय नही की जावेगी।
4. बैंक खाते पासबुक एवं कैंसिल चैक की सत्यप्रति तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि भी फर्म को जमा करानी होगी।
6. निविदादाता को निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी निर्धारित तिथि को कार्यालय समय में जमा करना होगा।
7. ठेका अवधि समाप्ति से पूर्व साईट छोड़ने या ठेका सब्लेट करने पर व अन्य शर्तो की अनुपालना न करने की स्थिति में निगम हित में संवेदक की जमा राशि जब्त करली जावेगी, बैंक खाता सीज कर दिया जायेगा व संवेदक को राज्य स्तरीय ब्लेक लिस्टेड कर प्रथम प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराकर निगम द्वारा पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।
8. निविदा पर निविदादाता का नवीनतम रंगीन फोटो जो स्वःप्रमाणित हो एवं निवास डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड तथा जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से सत्यापित कर निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी।
9. स्वीकृत निविदादाता को निविदा में ली गई किसी भी साईट को लाईसेंस अवधि के दौरान छोड़ने एवं परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और ना ही इसके लिये किसी तरह का आवेदन स्वीकार होगा।
10. राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त के आदेश पर फर्म की साईटों पर 15 दिवस के लिए (अलग–अलग दिवसों के लिए) निशुल्क विज्ञापन प्रचार–प्रसार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
11. निविदादाता को स्वीकृत किये गये माप से अधिक लम्बाई, चौड़ाई के विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी। यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उक्त साइट अवैध मानकर बिना किसी पूर्व सूचना दियें हटवाकर जब्त की जा सकेगी। उसका समस्त खर्चा निविदादाता को देना होगा। इस नुकसान हेतु निविदादाता स्वयं उत्तर दायी होगा। विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की साइज 30'' X 40'' वर्ग इंच (दो तरफा) डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी।
12. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे से लगाने होंगें एंव डिवाईडर पोलों को क्षति नही पहुंचे।
13. बिना कोई कारण बतायें निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित राशि के अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप निगम कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
15. स्वीकृत निविदादाता को एकं वर्ष की स्वीकृति अवधि पूर्ण होने पर मध्य रात्रि के पश्चात् अपने क्योस्क साइट से हटाने होंगे अन्यथा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये जावेंगें।
16. स्वीकृत निविदादाता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने विज्ञापन (क्योस्क) की देख रेख स्वयं करें, चोरी होने की दशा में, पोस्टर आदि चिपका देने की दशा में तथा अन्य व्यवधानों के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। नगर निगम, कोटा दक्षिण ऐसे किन्ही कारणों के प्रति उत्तर दायी नहीं होगा। डिवाईडर पर लगे पेड–पोधों की छटनी संवेदक को स्वंय के स्तर पर करवानी होगी।
17. स्वीकृत निविदादाता अवधि पूर्ण होने तक निविदा में दी गई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को नही छोड़ सकेगा।
18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा या उसके अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा नौकर अभिकर्ता आदि द्वारा विज्ञापन उपविधियां एवं निविदा की एक भी शर्त का उल्लंधन किये जाने पर ठेके के लिए जारी किया गया अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावेंगा एवं ठेके के पेटे जमा कराई गई राशि नगर निगम, कोटा दक्षिण के पक्ष में जब्त समझी जावेंगी तथा अनुज्ञापत्र रद्द किये जाने की स्थिति में साइट से निविदादाता का विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को बिना किसी पूर्व सूचना के हटवाया जाकर जब्त किया जा सकेगा।
19. स्वीकृत निविदादाता को विज्ञापन कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों, प्रतिनिधियों एवं स्वयं के पूरे नाम व पतें फोन नं0, मो0नं0 इत्यादि लिखकर इकरार नामे के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
20. विज्ञापन पट्टों (क्योस्क) दो तरफा की साइज निविदा शर्तो के अनुसार 30'' X 40'' वर्ग इंच होगी। इसकी जमीन से ऊचांई 6 फीट रहेगीं। मापदण्डो की अवहेलना करने पर ऐसे विज्ञापन पट्ट (क्योस्क)` अवैध माने जावेंगें व निगम आदेशों की अवहेलना मानते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के हटवा दिये जावेंगे एवं इस संबंध में निविदादाता का कोई पक्ष मान्य नहीं होगा।
21. स्वीकृत निविदादाता का दायित्व होगा कि विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को मजबूती से स्थापित करें। ताकि प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) गिरे नहीं एवं ना ही निकल पायें। अगर किसी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) का कोई हिस्सा सड़क पर गिरकर किसी को जनधन की हानि पहुॅचाता है तो जन, धन की हानि के लिए नगर निगम, कोटा दक्षिण का उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसी हानि का निर्वहन स्वयं निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
22. निविदादाता द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) नहीं लगायें जावेंगे जिन पर कोई नशे, अश्लीलता, साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक भावना भड़कानें वाला दृश्य अंकित/चित्रित हो अथवा अश्लील भाषा का प्रयोग हो या किसी प्रकार की अश्लीलता को प्रकट/इंगित करता हो तो अनुज्ञापत्र निरस्त कर राशि जब्त कर ली जावेंगी एवं बकाया शेष अवधि के लिए भी अनुमति नही दी जावेगी तथा उक्त निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
23. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के सामान को लगाने का सम्पूर्ण कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।
24. समस्त प्रकार के विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निरीक्षण का अधिकार आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहा0 राजस्व निरीक्षक को होगा। निविदादाता को इनके द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करनी होगी।
25. विज्ञापन संबंधी शर्तो/उपनियमों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम, कोटा दक्षिण को होगा एवं ऐसा संशोधन/परिवर्तन निविदादाता को मान्य होगा।
26. निविदा में लिये गये किसी भी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निविदादाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की आडिट व अन्य बकाया राशि निविदादाता से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर वसूली की जा सकेगी।
27. विज्ञापन पट्ट क्योस्क को सड़क से पर्याप्त ऊंचाई पर लगाना होगा। ताकि आवागमन में रूकावट ना हो।
28. निविदादाता द्वारा स्वीकृत स्थानों के डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल विज्ञापन पट्ट क्योस्क स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगें।

29. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) प्रदर्शन की कार्यवाही में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी/प्रतिनिधि/नौकर/अभिकर्ता आदि यदि किसी भी प्रकार किसी भी कारण से दुघर्टनाग्रस्त हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व नगर निगम, कोटा दक्षिण का नहीं होगा। इसके लिए स्वयं निविदादाता ही समस्त प्रकार के हर्जे खर्चे इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।

30. निविदादाता को विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) लगातें समय यातायात नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।

31. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू सेवाकर, GST एवं अन्य कर निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।

32. किसी भी विवादास्पद मुद्दे/संशय की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

33. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

34. निविदादाता द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना करनी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तो अथवा किसी भी एक शर्त का उल्लंधन करने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं निगम कोष में स्वीकृत ठेके की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। शेष अवधि की बकाया राशि भी वापस नही लोटाई जावेगी।

35. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के आसपास लगे अवैध विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) हटानें के लिए स्वयं निविदादाता अधिकृत होगा। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्देशानुसार सम्पन्न करनी होगी।

36. निविदा के लिये रिस्क एण्ड कोस्ट नियम तथा सामांन्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें।

37. नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे हाईटेंसन लाईट पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही रहेगी।

38. कोटा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के पार्को पर लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।

39. मेला दशहरा के अवसर पर मेला परिसर के स्थित पेराफेरी डिवाईडर रोड पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट इस निविदा से पृथक रहेंगें। (मेला अविध तक पृथक होंगे)

40. सार्वजनिक स्थानों, राजकीय भवनों की बाउण्ड्री के दीवार के सहारे लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।

41. उक्त कियोस्क ठेका दक्षिण नगर निगम मे मुख्य सडकों के डिवाईडर पर एवं साईड विद्युत पोल पर ही लागू होगा।

42. शहर की विकसित कॉलोनियों के अन्दर की तरफ विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी।

43. **तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज स्वयं सूचीबद्ध कर संलग्न करें।**

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तो का मैंनें भली भांति अध्ययन कर लिया है। और मैं निविदा की समस्त शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ, और पालना के लिए बाध्य हूँ।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा

Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com,

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र मे स्थापित डिवाईडर, फ्लाईओवर, साईडों पर लगे विद्युत पोलो की संख्या/सूची पार्ट "ए"

क्र.सं.	स्थान	पुराने विद्युत पोलो की संख्या	नये विद्युत पोलो की संख्या	रोड के साईड में लगे विद्युत पोलों की संख्या	कुल विद्युत पोलों की संख्या
1	केशवपुरा शमशान से सतोषी नगर चौराहा तक	24	–	–	24
2	टी.वी.एस सर्किल से तीन बत्ती सर्किल तक नाले के पास	26	–	–	26
3	टी.वी.एस सर्किल से कोटा डेयरी रोड तक	–	25	–	25
4	केशवपुरा फ्लाईओवर से जे.डी.ए सर्किल तक	34	2	–	36
5	रामचरण सर्किल से अनंतपुरा थाने तक	50	–	–	50
6	मेडिकल कॉलेज से खडे गणेश जी तक	5	–	–	5
7	मेडिकल कॉलेज से कोटा यूर्निवसिटी तक	20	–	–	20
8	चच्चु की बाडी से रगंबाडी चौराहा तक	7	–	–	7
9	रगंबाडी चौराहा से सुभाष नगर सब्जी मण्डी तक	25	–	–	25
10	विश्वकर्मा सर्किल से सुभाष नगर सब्जी मण्डी तक	20	–	–	20
11	विश्वकर्मा सर्किल से घटोत्कच सर्किल तक	–	25	–	25
12	अहिंसा सर्किल से कोटा विश्व विद्यालय तक	20	–	–	20
13	बी.एस.एन.एल सर्किल से कल्पना चांवला सर्किल तक	25	–	–	25
14	गोदावरी धाम से नयागांव मोदी कॉलेज तक	50	–	–	50
15	घटोत्कच सर्किल से टी.वी.एस सर्किल तक	–	23	–	23
16	घटोत्कच सर्किल से मेडिकल कॉलेज तक	41	–	–	41
17	घटोत्कच सर्किल से टी.वी.एस सर्किल तक	–	23	–	23
18	डी.मार्ट रोड काला बादल से कल्पना चावला सर्किल तक	25	–	–	25
	कुल योग	**372**	**98**	**–**	**470**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा दक्षिण

vidhut polo ki list.9

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा

Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com , Tel. pho. 0744-2502142

क्रमांकः– ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7536-48 दिनांकः– 09/07/25

–:: ई निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कार्यादेश से एक वर्ष (2025–26) तक के लिये **2 Bid 2 Stage (पद्धति) के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया** द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	धरोहर राशि 2%	ठेका आरक्षित राशि
1	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "ए"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	27390/–	13,69,500/–
2	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "बी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	28314/–	14,15,700/–
3	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "सी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	24134/–	12,06,700/–
4	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "डी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	26862/–	13,43,100/–

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम की वेब साईट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-kota-south/en/home-html एव http://sppp.rajasthan.gov.in तथा **https://eproc.rajasthan.gov.in/** से देख एवं डाउनलोड कर सकते है तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है।

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
अपेक्षित डी0डी0 एवं दस्तावेज जमा कराने की दिनांक	31.7.25 सांय 04.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	1.8.25 सांय 03.00 बजे तक
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत

उपरोक्त कार्य के लिये निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम निर्धारित दिनांक 31.7.25 को सांय 4.00 बजे तक अनुसार राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा दक्षिण के "ए" ब्लॉक में प्रथमतल पर कमरा नं0 238 में पहुंच जाना चाहिये। उक्त निविदा नियत तिथि को ऑनलाईन खोली जावेगी। स्वीकृत ठेका राशि पर 18% GST एंव किसी भी प्रकार का प्रचलित कर संवेदक स्वंय को वहन करना होगा।

नोटः–

1. **उक्त राशि एक वर्ष हेतु निर्धारित है जिसके लिये संवेदक को सम्बन्धित कार्य की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात् ही कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी, अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर दी जावेगी जिसके लिए किसी तरह का कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही होगी।**
2. **केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड फर्म/संवेदक निविदा में भाग नही ले सकेगा।**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.1

क्रमांकः– ननिकोद / उपा.रा. / 2025 / 7536–48 दिनांकः– 09/07/25

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. उपायुक्त प्रथम / द्वितीय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण
9. राजस्व अधिकारी / राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा दक्षिण।
10. **पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संभाग स्तरीय संस्करण दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करावें।**
11. कार्यालय अधीक्षक सामान्य, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
12. प्रभारी अधिकारी, NIC को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य लोक उपापन समिति SPPP Portal पर करना सुनिश्चित करें।
13. नोटिस बोर्ड चस्पा / गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.2

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

—: तकनीकी बिड :—

Latest Colour Photo With Self Attestation

1. कार्य का नामः— डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क

पार्ट "बी" (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न

2. कार्य की अवधि :— कार्य आदेश से एक वर्ष (2025—26) हेतु।
3. **निविदादाता का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो बॉक्स में चस्पा करें।**
4. **निविदादाता स्वंय के स्थाई अंकित पते की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। फोटो एवं स्थाई अंकित पते के पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।**
5. **आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।**
6. **बैंक खाते की पासबुक व कैंसिल चैक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें।**
7. **दो वर्षो 2022—23 व 2023—24 की आयकर रिटर्न स्व.प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।**
8. **व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आई0डी0 की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।**
9. डी.डी. निविदादाता/फर्म के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
10. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सफल संवेदक को बिड राशि की 5 प्रतिशत राशि परफॉरमेन्स गारण्टी बैंकर्स चैक/डी.डी. जमा करवानी अनिवार्य होगी।
12. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
13. फर्म द्वारा इस आशय का 100/— शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति पर नगर निगम कोटा दक्षिण राजस्व अनुभाग की कोई राशि बकाया नही है।
14. EPF एवं ESI विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर काई विचार नहीं किया जावेगा।
15. राशि 100/— के स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :— तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं0 3 से 15 तक के दस्तावेज साफ पढने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनिकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज्र के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।

नोट :— तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं0 3 से 15 तक के दस्तावेज साफ पढने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनिकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज्र के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

....

मो0नं0 :—..

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

–:: वित्तीय बिड़ ::–

1. कार्य का नाम	:–	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "बी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न
2. कार्य की अवधि	:–	कार्य आदेश से एक वर्ष (2025–26)हेतु
3. अनुमानित राशि	:–	14,15,700/–
4. वित्तीय बिड़ खोलने की तिथि	:–	तकनीकी बिड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. निविदादाता का नाम व स्थाई पता मय फोन नं0	:–	....
6. निविदादाता द्वारा दी गई ठेका राशि (प्रतिवर्ष)	:–	दर अंको/शब्दों में BOQ में प्रस्तुत करें।

मैं संलग्न शर्तो/निर्देशो को भली–भांती अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ एवं पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः– ....

पिता का नामः– ....

पूर्ण पताः– ....

....

मो0नं0 :–..

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.9

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (पार्ट–"बी")

नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में कार्य आदेश से एक वर्ष (2025–26) के लिये वार्षिक ठेका डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा की निविदा की शर्तेः–

1. लघु विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की अवधि कार्य आदेश से एक वर्ष के लिये मान्य रहेगी।
2. निविदा के साथ संवेदक को अपने बैंक खाते की पासबुक सत्य प्रतिलिपि व आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा साथ ही पिछले दो वर्षो **2022–23 व 2023–24** का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय हों, संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पर आवेदक द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लगाकर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कराना होगा साथ ही आवेदन पत्र के साथ दो वर्षो **2022–23 व 2023–24 के** आयकर रिटर्न की प्रति व अपने निवास स्थान एवं व्यावसायिक संस्थान का पूर्ण पता स्वःहस्ताक्षर से प्रमाणित कर संलग्न करना होगा। उक्त निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेब साईट **udh.rajasthan.gov.in.nnks** एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (RSPPP) से प्राप्त की जा सकती है। राजस्व अनुभाग द्वारा कोई निविदा विक्रय नही की जावेगी।
4. बैंक खाते पासबुक एवं कैंसिल चैक की सत्यप्रति तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि भी फर्म को जमा करानी होगी।
6. निविदादाता को निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी निर्धारित तिथि को कार्यालय समय में जमा करना होगा।
7. ठेका अवधि समाप्ति से पूर्व साईट छोड़ने या ठेका सब्लेट करने पर व अन्य शर्तो की अनुपालना न करने की स्थिति में निगम हित में संवेदक की जमा राशि जब्त करली जावेगी, बैंक खाता सीज कर दिया जायेगा व संवेदक को राज्य स्तरीय ब्लेक लिस्टेड कर प्रथम प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराकर निगम द्वारा पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।
8. निविदा पर निविदादाता का नवीनतम रंगीन फोटो जो स्वःप्रमाणित हो एवं निवास डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड तथा जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से सत्यापित कर निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी।
9. स्वीकृत निविदादाता को निविदा में ली गई किसी भी साईट को लाईसेंस अवधि के दौरान छोड़ने एवं परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और ना ही इसके लिये किसी तरह का आवेदन स्वीकार होगा।
10. राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त के आदेश पर फर्म की साईटों पर 15 दिवस के लिए (अलग–अलग दिवसों के लिए) निशुल्क विज्ञापन प्रचार–प्रसार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
11. निविदादाता को स्वीकृत किये गये माप से अधिक लम्बाई, चौड़ाई के विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी। यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उक्त साइट अवैध मानकर बिना किसी पूर्व सूचना दियें हटवाकर जब्त की जा सकेगी। उसका समस्त खर्चा निविदादाता को देना होगा। इस नुकसान हेतु निविदादाता स्वयं उत्तर दायी होगा। विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की साइज 30" X 40" वर्ग इंच (दो तरफा) डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी।
12. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे से लगाने होंगें एंव डिवाईडर पोलों को क्षति नही पहुंचे।
13. बिना कोई कारण बतायें निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.10

14. निविदा स्वीकृत होने पर संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित राशि के अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप निगम कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

15. स्वीकृत निविदादाता को एकं वर्ष की स्वीकृति अवधि पूर्ण होने पर मध्य रात्रि के पश्चात् अपने क्योस्क साइट से हटाने होंगे अन्यथा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये जावेंगें।

16. स्वीकृत निविदादाता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने विज्ञापन (क्योस्क) की देख रेख स्वयं करें, चोरी होने की दशा में, पोस्टर आदि चिपका देने की दशा में तथा अन्य व्यवधानों के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। नगर निगम, कोटा दक्षिण ऐसे किन्ही कारणों के प्रति उत्तर दायी नहीं होगा। डिवाईडर पर लगे पेड–पोधों की छटनी संवेदक को स्वंय के स्तर पर करवानी होगी।

17. स्वीकृत निविदादाता अवधि पूर्ण होने तक निविदा में दी गई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को नही छोड़ सकेगा।

18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा या उसके अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा नौकर अभिकर्ता आदि द्वारा विज्ञापन उपविधियां एवं निविदा की एक भी शर्त का उल्लंधन किये जाने पर ठेके के लिए जारी किया गया अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावेंगा एवं ठेके के पेटे जमा कराई गई राशि नगर निगम, कोटा दक्षिण के पक्ष में जब्त समझी जावेंगी तथा अनुज्ञापत्र रद्द किये जाने की स्थिति में साइट से निविदादाता का विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को बिना किसी पूर्व सूचना के हटवाया जाकर जब्त किया जा सकेगा।

19. स्वीकृत निविदादाता को विज्ञापन कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों, प्रतिनिधियों एवं स्वयं के पूरे नाम व पतें फोन नं0, मो0नं0 इत्यादि लिखकर इकरार नामे के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

20. विज्ञापन पट्टों (क्योस्क) दो तरफा की साइज निविदा शर्तो के अनुसार 30'' X 40'' वर्ग इंच होगी। इसकी जमीन से ऊचांई 6 फीट रहेगीं। मापदण्डो की अवहेलना करने पर ऐसे विज्ञापन पट्ट (क्योस्क)` अवैध माने जावेंगें व निगम आदेशों की अवहेलना मानते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के हटवा दिये जावेंगे एवं इस संबंध में निविदादाता का कोई पक्ष मान्य नहीं होगा।

21. स्वीकृत निविदादाता का दायित्व होगा कि विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को मजबूती से स्थापित करें। ताकि प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) गिरे नहीं एवं ना ही निकल पायें। अगर किसी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) का कोई हिस्सा सड़क पर गिरकर किसी को जनधन की हानि पहुॅचाता है तो जन, धन की हानि के लिए नगर निगम, कोटा दक्षिण का उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसी हानि का निर्वहन स्वयं निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

22. निविदादाता द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) नहीं लगायें जावेंगे जिन पर कोई नशे, अश्लीलता, साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक भावना भड़कानें वाला दृश्य अंकित/चित्रित हो अथवा अश्लील भाषा का प्रयोग हो या किसी प्रकार की अश्लीलता को प्रकट/इंगित करता हो तो अनुज्ञापत्र निरस्त कर राशि जब्त कर ली जावेंगी एवं बकाया शेष अवधि के लिए भी अनुमति नही दी जावेगी तथा उक्त निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

23. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के सामान को लगाने का सम्पूर्ण कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।

24. समस्त प्रकार के विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निरीक्षण का अधिकार आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहा0 राजस्व निरीक्षक को होगा। निविदादाता को इनके द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करनी होगी।

25. विज्ञापन संबंधी शर्तो/उपनियमों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम, कोटा दक्षिण को होगा एवं ऐसा संशोधन/परिवर्तन निविदादाता को मान्य होगा।

26. निविदा में लिये गये किसी भी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निविदादाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की आडिट व अन्य बकाया राशि निविदादाता से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर वसूली की जा सकेगी।

27. विज्ञापन पट्ट क्योस्क को सड़क से पर्याप्त ऊंचाई पर लगाना होगा। ताकि आवागमन में रूकावट ना हो।

28. निविदादाता द्वारा स्वीकृत स्थानों के डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल विज्ञापन पट्ट क्योस्क स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगें।

29. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) प्रर्दशन की कार्यवाही में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी/प्रतिनिधि/नौकर/अभिकर्ता आदि यदि किसी भी प्रकार किसी भी कारण से दुघर्टनाग्रस्त हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व नगर निगम, कोटा दक्षिण का नहीं होगा। इसके लिए स्वयं निविदादाता ही समस्त प्रकार के हर्जे खर्चे इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।

30. निविदादाता को विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) लगातें समय यातायात नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।

31. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू सेवाकर, GST एवं अन्य कर निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।

32. किसी भी विवादास्पद मुद्दे/संशय की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

33. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

34. निविदादाता द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना करनी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तो अथवा किसी भी एक शर्त का उल्लंधन करने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं निगम कोष में स्वीकृत ठेके की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। शेष अवधि की बकाया राशि भी वापस नही लोटाई जावेगी।

35. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के आसपास लगे अवैध विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) हटानें के लिए स्वयं निविदादाता अधिकृत होगा। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्देशानुसार सम्पन्न करनी होगी।

36. निविदा के लिये रिस्क एण्ड कोस्ट नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें।

37. नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे हाईटेंसन लाईट पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही रहेगी।

38. कोटा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के पार्को पर लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।

39. मेला दशहरा के अवसर पर मेला परिसर के स्थित पेराफेरी डिवाईडर रोड पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट इस निविदा से पृथक रहेंगें। (मेला अविध तक पृथक होंगे)

40. सार्वजनिक स्थानों, राजकीय भवनों की बाउण्ड्री के दीवार के सहारे लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।

41. उक्त कियोस्क ठेका दक्षिण नगर निगम मे मुख्य सडकों के डिवाईडर पर एवं साईड विद्युत पोल पर ही लागू होगा।

42. शहर की विकसित कॉलोनियों के अन्दर की तरफ विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी।

43. <u>तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज स्वयं सूचीबद्ध कर संलग्न करें।</u>

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तो का मैंनें भली भांति अध्ययन कर लिया है। और मैं निविदा की समस्त शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ, और पालना के लिए बाध्य हूँ।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com,

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र मे स्थापित डिवाईडर, फ्लाईओवर, साईडों पर लगे विद्युत पोलो की संख्या/सूची पार्ट "बी"

क्र.सं.	सीन	पुराने विद्युत पोलो की संख्या	नये विद्युत पोलो की संख्या	रोड के साईड में लगे विद्युत पोलों की संख्या	कुल विद्युत पोलों की संख्या
1	कॉमर्स कॉलेज से तलवण्डी सर्किल तक	36	27	–	63
2	तलवण्डी सर्किल से केशवपुरा चौराहा (पुलिया के नीचे) तक	9	9	–	18
3	सेन्ट्रल पब्लिक स्कुल कोने से खण्डेलवाल नर्सिगं होम तक	17	–	–	17
4	महावीर नगर सब्जीमण्डी से अम्बर डेयरी के कोने तक	21	–	–	21
5	जवाहर नगर पेट्रोल पम्प चौराहा से रेजोनेन्स तक	21	–	–	21
6	दादाबाडी फ्लाईओवर उपर से टीचर कॉलोनी चौराहो तक (दोनो तरफ)	–	–	130	130
7	राजीव गॉधी नगर एव न्यु राजीव गॉधी नगर (रोड के दोनो तरफ)	–	–	100	100
8	इद्राविहार अन्दर वाला ऐरिया (रोड के दोनो तरफ)	–	–	50	50
9	वी.मार्ट (दादाबाडी फ्लाईओवर समाप्ति पर) से घटोत्कच सर्किल तक	34	32	–	66
	कुल योग	**138**	**68**	**280**	**486**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा दक्षिण

vidhut polo ki list.10

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com , Tel. pho. 0744-2502142

क्रमांकः– ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7536–7548 दिनांकः–09/07/25

–:: ई निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कार्यादेश से एक वर्ष (2025–26) तक के लिये **2 Bid 2 Stage (पद्धति) के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया** द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	धरोहर राशि 2%	ठेका आरक्षित राशि
1	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "ए"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	27390/–	13,69,500/–
2	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "बी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	28314/–	14,15,700/–
3	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "सी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	24134/–	12,06,700/–
4	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "डी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	26862/–	13,43,100/–

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम की वेब साईट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-kota-south/en/home-html एव http://sppp.rajasthan.gov.in तथा **https://eproc.rajasthan.gov.in/** से देख एवं डाउनलोड कर सकते है तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है।

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
अपेक्षित डी0डी0 एवं दस्तावेज जमा कराने की दिनांक	31.7.25 सांय 04.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	1.8.25 सांय 03.00 बजे तक
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत

उपरोक्त कार्य के लिये निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम निर्धारित दिनांक 31.7.25 को सांय 4.00 बजे तक अनुसार राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा दक्षिण के "ए" ब्लॉक में प्रथमतल पर कमरा नं0 238 में पहुंच जाना चाहिये। उक्त निविदा नियत तिथि को ऑनलाईन खोली जावेगी। स्वीकृत ठेका राशि पर 18% GST एंव किसी भी प्रकार का प्रचलित कर संवेदक स्वंय को वहन करना होगा।

नोटः–

1. **उक्त राशि एक वर्ष हेतु निर्धारित है जिसके लिये संवेदक को सम्बन्धित कार्य की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात् ही कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी, अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर दी जावेगी जिसके लिए किसी तरह का कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही होगी।**
2. **केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड फर्म/संवेदक निविदा में भाग नही ले सकेगा।**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.1

क्रमांकः– ननिकोद / उपा.रा. / 2025 / 7536–48 दिनांकः– 09/07/25

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. उपायुक्त प्रथम / द्वितीय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण
9. राजस्व अधिकारी / राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा दक्षिण।
10. **पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संभाग स्तरीय संस्करण दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करावें।**
11. कार्यालय अधीक्षक सामान्य, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
12. प्रभारी अधिकारी, NIC को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य लोक उपापन समिति SPPP Portal पर करना सुनिश्चित करें।
13. नोटिस बोर्ड चस्पा / गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व

नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.2

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

—: तकनीकी बिड :—

Latest Colour Photo With Self Attestation

1. कार्य का नामः— डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क

पार्ट "सी" (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न

2. कार्य की अवधि :— कार्य आदेश से एक वर्ष (2025—26) हेतु।
3. निविदादाता का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो बॉक्स में चस्पा करें।
4. निविदादाता स्वंय के स्थाई अंकित पते की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। फोटो एवं स्थाई अंकित पते के पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
5. आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. बैंक खाते की पासबुक व कैंसिल चैक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
7. दो वर्षो 2022—23 व 2023—24 की आयकर रिटर्न स्व.प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
8. व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आई0डी0 की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।
9. डी.डी. निविदादाता/फर्म के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
10. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सफल संवेदक को बिड राशि की 5 प्रतिशत राशि परफॉरमेन्स गारण्टी बैंकर्स चैक/डी.डी. जमा करवानी अनिवार्य होगी।
12. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
13. फर्म द्वारा इस आशय का 100/— शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति पर नगर निगम कोटा दक्षिण राजस्व अनुभाग की कोई राशि बकाया नही है।
14. EPF एवं ESI विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर काई विचार नहीं किया जावेगा।
15. राशि 100/— के स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :— तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं0 3 से 15 तक के दस्तावेज साफ पढने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनिकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज्र के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

....

मो0नं0 :—...

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

—:: वित्तीय बिड़ ::—

1. कार्य का नाम :— डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क पार्ट "सी" (साईज 30'' X 40'') वर्ग इंच सूची संलग्न
2. कार्य की अवधि :— कार्य आदेश से एक वर्ष (2025—26)हेतु
3. अनुमानित राशि :— 12,06,700/—
4. वित्तीय बिड़ खोलने की तिथि :— तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. निविदादाता का नाम व स्थाई पता मय फोन नं0 :— ....
6. निविदादाता द्वारा दी गई ठेका राशि (प्रतिवर्ष) :— दर अंको/शब्दों में BOQ में प्रस्तुत करें।

मैं संलग्न शर्तो/निर्देशो को भली—भांती अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ एवं पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

....

मो0नं0 :— ....

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (पार्ट–"सी")

नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में कार्य आदेश से एक वर्ष (2025–26) के लिये वार्षिक ठेका डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा की निविदा की शर्तेः–

1. लघु विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की अवधि कार्य आदेश से एक वर्ष के लिये मान्य रहेगी।
2. निविदा के साथ संवेदक को अपने बैंक खाते की पासबुक सत्य प्रतिलिपि व आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा साथ ही पिछले दो वर्षो **2022–23 व 2023–24** का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय हों, संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पर आवेदक द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लगाकर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कराना होगा साथ ही आवेदन पत्र के साथ दो वर्षो **2022–23 व 2023–24 के** आयकर रिटर्न की प्रति व अपने निवास स्थान एवं व्यावसायिक संस्थान का पूर्ण पता स्वःहस्ताक्षर से प्रमाणित कर संलग्न करना होगा। उक्त निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेब साईट **udh.rajasthan.gov.in.nnks** एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (RSPPP) से प्राप्त की जा सकती है। राजस्व अनुभाग द्वारा कोई निविदा विक्रय नही की जावेगी।
4. बैंक खाते पासबुक एवं कैंसिल चैक की सत्यप्रति तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि भी फर्म को जमा करानी होगी।
6. निविदादाता को निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी निर्धारित तिथि को कार्यालय समय में जमा करना होगा।
7. ठेका अवधि समाप्ति से पूर्व साईट छोड़ने या ठेका सब्लेट करने पर व अन्य शर्तो की अनुपालना न करने की स्थिति में निगम हित में संवेदक की जमा राशि जब्त करली जावेगी, बैंक खाता सीज कर दिया जायेगा व संवेदक को राज्य स्तरीय ब्लेक लिस्टेड कर प्रथम प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराकर निगम द्वारा पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।
8. निविदा पर निविदादाता का नवीनतम रंगीन फोटो जो स्वःप्रमाणित हो एवं निवास डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड तथा जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से सत्यापित कर निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी।
9. स्वीकृत निविदादाता को निविदा में ली गई किसी भी साईट को लाईसेंस अवधि के दौरान छोड़ने एवं परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और ना ही इसके लिये किसी तरह का आवेदन स्वीकार होगा।
10. राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त के आदेश पर फर्म की साईटों पर 15 दिवस के लिए (अलग–अलग दिवसों के लिए) निशुल्क विज्ञापन प्रचार–प्रसार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
11. निविदादाता को स्वीकृत किये गये माप से अधिक लम्बाई, चौड़ाई के विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी। यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उक्त साइट अवैध मानकर बिना किसी पूर्व सूचना दियें हटवाकर जब्त की जा सकेगी। उसका समस्त खर्चा निविदादाता को देना होगा। इस नुकसान हेतु निविदादाता स्वयं उत्तर दायी होगा। विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की साइज 30" X 40" वर्ग इंच (दो तरफा) डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी।
12. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे से लगाने होंगें एंव डिवाईडर पोलों को क्षति नही पहुंचे।
13. बिना कोई कारण बतायें निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.15

14. निविदा स्वीकृत होने पर संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित राशि के अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप निगम कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
15. स्वीकृत निविदादाता को एकं वर्ष की स्वीकृति अवधि पूर्ण होने पर मध्य रात्रि के पश्चात् अपने क्योस्क साइट से हटाने होंगे अन्यथा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये जावेंगें।
16. स्वीकृत निविदादाता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने विज्ञापन (क्योस्क) की देख रेख स्वयं करें, चोरी होने की दशा में, पोस्टर आदि चिपका देने की दशा में तथा अन्य व्यवधानों के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। नगर निगम, कोटा दक्षिण ऐसे किन्ही कारणों के प्रति उत्तर दायी नहीं होगा। डिवाईडर पर लगे पेड़–पोधों की छटनी संवेदक को स्वंय के स्तर पर करवानी होगी।
17. स्वीकृत निविदादाता अवधि पूर्ण होने तक निविदा में दी गई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को नही छोड़ सकेगा।
18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा या उसके अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा नौकर अभिकर्ता आदि द्वारा विज्ञापन उपविधियां एवं निविदा की एक भी शर्त का उल्लंधन किये जाने पर ठेके के लिए जारी किया गया अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावेंगा एवं ठेके के पेटे जमा कराई गई राशि नगर निगम, कोटा दक्षिण के पक्ष में जब्त समझी जावेंगी तथा अनुज्ञापत्र रद्द किये जाने की स्थिति में साइट से निविदादाता का विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को बिना किसी पूर्व सूचना के हटवाया जाकर जब्त किया जा सकेगा।
19. स्वीकृत निविदादाता को विज्ञापन कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों, प्रतिनिधियों एवं स्वयं के पूरे नाम व पतें फोन नं0, मो0नं0 इत्यादि लिखकर इकरार नामे के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
20. विज्ञापन पट्टों (क्योस्क) दो तरफा की साइज निविदा शर्तो के अनुसार 30'' X 40'' वर्ग इंच होगी। इसकी जमीन से ऊचांई 6 फीट रहेगीं। मापदण्डो की अवहेलना करने पर ऐसे विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) अवैध माने जावेंगें व निगम आदेशों की अवहेलना मानते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के हटवा दिये जावेंगे एवं इस संबंध में निविदादाता का कोई पक्ष मान्य नहीं होगा।
21. स्वीकृत निविदादाता का दायित्व होगा कि विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को मजबूती से स्थापित करें। ताकि प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) गिरे नहीं एवं ना ही निकल पायें। अगर किसी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) का कोई हिस्सा सड़क पर गिरकर किसी को जनधन की हानि पहुँचाता है तो जन, धन की हानि के लिए नगर निगम, कोटा दक्षिण का उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसी हानि का निर्वहन स्वयं निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
22. निविदादाता द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) नहीं लगायें जावेंगे जिन पर कोई नशे, अश्लीलता, साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक भावना भड़कानें वाला दृश्य अंकित/चित्रित हो अथवा अश्लील भाषा का प्रयोग हो या किसी प्रकार की अश्लीलता को प्रकट/इंगित करता हो तो अनुज्ञापत्र निरस्त कर राशि जब्त कर ली जावेंगी एवं बकाया शेष अवधि के लिए भी अनुमति नही दी जावेगी तथा उक्त निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
23. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के सामान को लगाने का सम्पूर्ण कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।
24. समस्त प्रकार के विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निरीक्षण का अधिकार आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहा0 राजस्व निरीक्षक को होगा। निविदादाता को इनके द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करनी होगी।
25. विज्ञापन संबंधी शर्तो/उपनियमों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम, कोटा दक्षिण को होगा एवं ऐसा संशोधन/परिवर्तन निविदादाता को मान्य होगा।
26. निविदा में लिये गये किसी भी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निविदादाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की आडिट व अन्य बकाया राशि निविदादाता से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर वसूली की जा सकेगी।
27. विज्ञापन पट्ट क्योस्क को सड़क से पर्याप्त ऊंचाई पर लगाना होगा। ताकि आवागमन में रूकावट ना हो।
28. निविदादाता द्वारा स्वीकृत स्थानों के डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल विज्ञापन पट्ट क्योस्क स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगें।

29. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) प्रर्दशन की कार्यवाही में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी/प्रतिनिधि/नौकर/अभिकर्ता आदि यदि किसी भी प्रकार किसी भी कारण से दुघर्टनाग्रस्त हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व नगर निगम, कोटा दक्षिण का नहीं होगा। इसके लिए स्वयं निविदादाता ही समस्त प्रकार के हर्जे खर्चे इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।

30. निविदादाता को विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) लगातें समय यातायात नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।

31. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू सेवाकर, GST एवं अन्य कर निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।

32. किसी भी विवादास्पद मुद्दे/संशय की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

33. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

34. निविदादाता द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना करनी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तो अथवा किसी भी एक शर्त का उल्लंधन करने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं निगम कोष में स्वीकृत ठेके की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। शेष अवधि की बकाया राशि भी वापस नही लोटाई जावेगी।

35. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के आसपास लगे अवैध विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) हटानें के लिए स्वयं निविदादाता अधिकृत होगा। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्देशानुसार सम्पन्न करनी होगी।

36. निविदा के लिये रिस्क एण्ड कोस्ट नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें।

37. नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे हाईटेंसन लाईट पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही रहेगी।

38. कोटा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के पार्को पर लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।

39. मेला दशहरा के अवसर पर मेला परिसर के स्थित पेराफेरी डिवाईडर रोड पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट इस निविदा से पृथक रहेंगें। (मेला अविध तक पृथक होंगे)

40. सार्वजनिक स्थानों, राजकीय भवनों की बाउण्ड्री के दीवार के सहारे लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।

41. उक्त कियोस्क ठेका दक्षिण नगर निगम मे मुख्य सडकों के डिवाईडर पर एवं साईड विद्युत पोल पर ही लागू होगा।

42. शहर की विकसित कॉलोनियों के अन्दर की तरफ विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी।

43. **तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज स्वयं सूचीबद्ध कर संलग्न करें।**

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तो का मैंनें भली भांति अध्ययन कर लिया है। और मैं निविदा की समस्त शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ, और पालना के लिए बाध्य हूँ।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com,

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र मे स्थापित डिवाईडर, फ्लाईओवर, साईडों पर लगे विद्युत पोलो की संख्या/सूची पार्ट "सी"

क्र.सं.	सीन	पुराने विद्युत पोलो की संख्या	नये विद्युत पोलो की संख्या	रोड के साईड में लगे विद्युत पोलों की संख्या	कुल विद्युत पोलों की संख्या
1	सीएडी चौराहे से किशोरपुरा थाने तक	—	14	—	14
2	दादाबाडी चौराहा से अभय कमाण्ड सेण्टर तक (नया रोड) रोड साईड के दोनो तरफ	—	—	65	65
3	किशोरपुरा थाने से नाले के कोने तक	8	—	—	8
4	किशोरपुरा नाले से चम्बल गार्डन तक (चम्बल गार्डन रोड)	45	—	—	45
5	किशोरपुरा नई पुलिया से गढ पेलेस सांई बाबा मन्दिर तक (दोनो तरफ)	—	—	22	22
6	गुमानपुरा फ्लाइ ओवर से सब्जी मंडी फुल वालो तक (nnks रोड साईड मे)	—	37	—	37
7	गुमानपुरा चोराहे से छावनी चोराहा तक	—	25	—	25
8	अण्डर पास ऐरोड्राम रोड	—	13	—	13
9	गुमानपुरा फ्लाइ ओवर से ऐरोड्राम चोराहा तक	—	26	—	26
10	कोटक महेन्द्रा बैक (घोडा वाला बाबा सर्किल) से सी.ए.डी चोराहा तक	23	28	—	51
11	कोटक महेन्द्रा बैक(घोडे वाले बाबा चौराहा) ट्राफिक पुलिस चोकी से गुमानपुरा फ्लाईओवर तक	—	08	—	08
12	सी.ए.डी सर्किल से ए.सी वाले गणेश जी तक	35	22	—	57
13	कोटडी पुलिया से ऐरोड्राम चौराहे तक फ्लाई ओवर पर	—	23	—	23
14	एस.एस. डेयरी कोटडी चौराहे से इन्दिरा गांधी स्टेच्यू तक आधे पोल	—	20	—	20
	कुल योग	**111**	**216**	**87**	**414**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा दक्षिण

vidhut polo ki list.11

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0एच0डी0 सर्किल, कोटा

Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com , Tel. pho. 0744-2502142

क्रमांकः– ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7536–48 दिनांकः– 09/07/25

–:: ई निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कार्यादेश से एक वर्ष (2025–26) तक के लिये **2 Bid 2 Stage (पद्धति) के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया** द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	धरोहर राशि 2%	ठेका आरक्षित राशि
1	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "ए"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	27390/–	13,69,500/–
2	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "बी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	28314/–	14,15,700/–
3	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "सी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	24134/–	12,06,700/–
4	डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "डी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा सूची संलग्न	1500/–	500/–	26862/–	13,43,100/–

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम की वेब साईट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-kota-south/en/home-html एव http://sppp.rajasthan.gov.in तथा **https://eproc.rajasthan.gov.in/** से देख एवं डाउनलोड कर सकते है तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है।

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	10.7.25 से 30.7.25 तक सांय 06.00 बजे तक
अपेक्षित डी0डी0 एवं दस्तावेज जमा कराने की दिनांक	31.7.25 सांय 04.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	1.8.25 सांय 03.00 बजे तक
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत

उपरोक्त कार्य के लिये निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम निर्धारित दिनांक 31.7.25 को सांय 4.00 बजे तक अनुसार राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा दक्षिण के "ए" ब्लॉक में प्रथमतल पर कमरा नं0 238 में पहुंच जाना चाहिये। उक्त निविदा नियत तिथि को ऑनलाईन खोली जावेगी। स्वीकृत ठेका राशि पर 18% GST एंव किसी भी प्रकार का प्रचलित कर संवेदक स्वंय को वहन करना होगा।

नोटः–

1. **उक्त राशि एक वर्ष हेतु निर्धारित है जिसके लिये संवेदक को सम्बन्धित कार्य की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात् ही कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी, अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर दी जावेगी जिसके लिए किसी तरह का कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही होगी।**
2. **केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड फर्म/संवेदक निविदा में भाग नही ले सकेगा।**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.1

क्रमांकः– ननिकोद/उपा.रा./2025/7536–48 दिनांकः–09/07/25

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण
9. राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा दक्षिण।
10. **पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संभाग स्तरीय संस्करण दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करावें।**
11. कार्यालय अधीक्षक सामान्य, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
12. प्रभारी अधिकारी, NIC को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य लोक उपापन समिति SPPP Portal पर करना सुनिश्चित करें।
13. नोटिस बोर्ड चस्पा/गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

South laguvigyapan Vidhut Polo Kiyosk Nivida 2025-26.2

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

—: तकनीकी बिड :—

Latest Colour Photo With Self Attestation

1. कार्य का नामः— डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "डी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न
2. कार्य की अवधि :— कार्य आदेश से एक वर्ष (2025—26) हेतु।
3. **निविदादाता का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो बॉक्स में चस्पा करें।**
4. **निविदादाता स्वंय के स्थाई अंकित पते की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। फोटो एवं स्थाई अंकित पते के पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।**
5. **आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।**
6. **बैंक खाते की पासबुक व कैंसिल चैक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें।**
7. **दो वर्षो 2022—23 व 2023—24 की आयकर रिटर्न स्व.प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।**
8. **व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आई0डी0 की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।**
9. **डी.डी. निविदादाता/फर्म के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।**
10. **निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
11. **सफल संवेदक को बिड राशि की 5 प्रतिशत राशि परफॉरमेन्स गारण्टी बैंकर्स चैक/डी.डी. जमा करवानी अनिवार्य होगी।**
12. **जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।**
13. **फर्म द्वारा इस आशय का 100/— शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति पर नगर निगम कोटा दक्षिण राजस्व अनुभाग की कोई राशि बकाया नही है।**
14. **EPF एवं ESI विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर काई विचार नहीं किया जावेगा।**
15. **राशि 100/— के स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

नोट :— तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं0 3 से 15 तक के दस्तावेज साफ पढने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनिकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज्र के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

....

मो0नं0 :—..

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

–:: वित्तीय बिड़ ::–

1. कार्य का नाम :– डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क **पार्ट "डी"** (साईज 30" X 40") वर्ग इंच सूची संलग्न
2. कार्य की अवधि :– कार्य आदेश से एक वर्ष (2025–26) हेतु
3. अनुमानित राशि :– 13,43,100/–
4. वित्तीय बिड़ खोलने की तिथि :– तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. निविदादाता का नाम व स्थाई पता मय फोन नं0 :– ....
6. निविदादाता द्वारा दी गई ठेका राशि (प्रतिवर्ष) :– दर अंको/शब्दों में BOQ में प्रस्तुत करें।

मैं संलग्न शर्तो/निर्देशो को भली–भांती अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ एवं पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः– ....

पिता का नामः– ....

पूर्ण पताः– ....

....

मो0नं0 :–..

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (पार्ट–"डी")

नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में कार्य आदेश से एक वर्ष (2025–26) के लिये वार्षिक ठेका डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर लघु विज्ञापन पट्ट कियोस्क (साईज 30" X 40") वर्ग इंच दो तरफा की निविदा की शर्तेः–

1. लघु विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की अवधि कार्य आदेश से एक वर्ष के लिये मान्य रहेगी।
2. निविदा के साथ संवेदक को अपने बैंक खाते की पासबुक सत्य प्रतिलिपि व आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा साथ ही पिछले दो वर्षो **2022–23 व 2023–24** का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय हों, संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पर आवेदक द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लगाकर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कराना होगा साथ ही आवेदन पत्र के साथ दो वर्षो **2022–23 व 2023–24 के** आयकर रिटर्न की प्रति व अपने निवास स्थान एवं व्यावसायिक संस्थान का पूर्ण पता स्वःहस्ताक्षर से प्रमाणित कर संलग्न करना होगा। उक्त निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेब साईट **udh.rajasthan.gov.in.nnks** एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (RSPPP) से प्राप्त की जा सकती है। राजस्व अनुभाग द्वारा कोई निविदा विक्रय नही की जावेगी।
4. बैंक खाते पासबुक एवं कैंसिल चैक की सत्यप्रति तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि भी फर्म को जमा करानी होगी।
6. निविदादाता को निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी निर्धारित तिथि को कार्यालय समय में जमा करना होगा।
7. ठेका अवधि समाप्ति से पूर्व साईट छोड़ने या ठेका सब्लेट करने पर व अन्य शर्तो की अनुपालना न करने की स्थिति में निगम हित में संवेदक की जमा राशि जब्त करली जावेगी, बैंक खाता सीज कर दिया जायेगा व संवेदक को राज्य स्तरीय ब्लेक लिस्टेड कर प्रथम प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराकर निगम द्वारा पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।
8. निविदा पर निविदादाता का नवीनतम रंगीन फोटो जो स्वःप्रमाणित हो एवं निवास डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड तथा जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से सत्यापित कर निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी।
9. स्वीकृत निविदादाता को निविदा में ली गई किसी भी साईट को लाईसेंस अवधि के दौरान छोड़ने एवं परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और ना ही इसके लिये किसी तरह का आवेदन स्वीकार होगा।
10. राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त के आदेश पर फर्म की साईटों पर 15 दिवस के लिए (अलग–अलग दिवसों के लिए) निशुल्क विज्ञापन प्रचार–प्रसार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
11. निविदादाता को स्वीकृत किये गये माप से अधिक लम्बाई, चौड़ाई के विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी। यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उक्त साइट अवैध मानकर बिना किसी पूर्व सूचना दियें हटवाकर जब्त की जा सकेगी। उसका समस्त खर्चा निविदादाता को देना होगा। इस नुकसान हेतु निविदादाता स्वयं उत्तर दायी होगा। विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) की साइज 30" x 40" वर्ग इंच (दो तरफा) डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी।
12. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे से लगाने होंगें एंव डिवाईडर पोलों को क्षति नही पहुंचे।
13. बिना कोई कारण बतायें निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित राशि के अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप निगम कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

15. स्वीकृत निविदादाता को एकं वर्ष की स्वीकृति अवधि पूर्ण होने पर मध्य रात्रि के पश्चात् अपने क्योस्क साइट से हटाने होंगे अन्यथा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये जावेंगें।

16. स्वीकृत निविदादाता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने विज्ञापन (क्योस्क) की देख रेख स्वयं करें, चोरी होने की दशा में, पोस्टर आदि चिपका देने की दशा में तथा अन्य व्यवधानों के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। नगर निगम, कोटा दक्षिण ऐसे किन्ही कारणों के प्रति उत्तर दायी नहीं होगा। डिवाईडर पर लगे पेड़–पोधों की छटनी संवेदक को स्वंय के स्तर पर करवानी होगी।

17. स्वीकृत निविदादाता अवधि पूर्ण होने तक निविदा में दी गई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को नही छोड़ सकेगा।

18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा या उसके अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा नौकर अभिकर्ता आदि द्वारा विज्ञापन उपविधियां एवं निविदा की एक भी शर्त का उल्लंधन किये जाने पर ठेके के लिए जारी किया गया अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावेंगा एवं ठेके के पेटे जमा कराई गई राशि नगर निगम, कोटा दक्षिण के पक्ष में जब्त समझी जावेंगी तथा अनुज्ञापत्र रद्द किये जाने की स्थिति में साइट से निविदादाता का विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को बिना किसी पूर्व सूचना के हटवाया जाकर जब्त किया जा सकेगा।

19. स्वीकृत निविदादाता को विज्ञापन कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों, प्रतिनिधियों एवं स्वयं के पूरे नाम व पतें फोन नं0, मो0नं0 इत्यादि लिखकर इकरार नामे के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

20. विज्ञापन पट्टों (क्योस्क) दो तरफा की साइज निविदा शर्तो के अनुसार 30'' X 40'' वर्ग इंच होगी। इसकी जमीन से ऊचांई 6 फीट रहेगीं। मापदण्डो की अवहेलना करने पर ऐसे विज्ञापन पट्ट (क्योस्क)` अवैध माने जावेंगें व निगम आदेशों की अवहेलना मानते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के हटवा दिये जावेंगे एवं इस संबंध में निविदादाता का कोई पक्ष मान्य नहीं होगा।

21. स्वीकृत निविदादाता का दायित्व होगा कि विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) को मजबूती से स्थापित करें। ताकि प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) गिरे नहीं एवं ना ही निकल पायें। अगर किसी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) का कोई हिस्सा सड़क पर गिरकर किसी को जनधन की हानि पहुँचाता है तो जन, धन की हानि के लिए नगर निगम, कोटा दक्षिण का उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसी हानि का निर्वहन स्वयं निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

22. निविदादाता द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) नहीं लगायें जावेंगे जिन पर कोई नशे, अश्लीलता, साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक भावना भड़कानें वाला दृश्य अंकित/चित्रित हो अथवा अश्लील भाषा का प्रयोग हो या किसी प्रकार की अश्लीलता को प्रकट/इंगित करता हो तो अनुज्ञापत्र निरस्त कर राशि जब्त कर ली जावेंगी एवं बकाया शेष अवधि के लिए भी अनुमति नही दी जावेगी तथा उक्त निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

23. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के सामान को लगाने का सम्पूर्ण कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।

24. समस्त प्रकार के विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निरीक्षण का अधिकार आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहा0 राजस्व निरीक्षक को होगा। निविदादाता को इनके द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करनी होगी।

25. विज्ञापन संबंधी शर्तो/उपनियमों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम, कोटा दक्षिण को होगा एवं ऐसा संशोधन/परिवर्तन निविदादाता को मान्य होगा।

26. निविदा में लिये गये किसी भी विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के निविदादाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की आडिट व अन्य बकाया राशि निविदादाता से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर वसूली की जा सकेगी।

27. विज्ञापन पट्ट क्योस्क को सड़क से पर्याप्त ऊंचाई पर लगाना होगा। ताकि आवागमन में रूकावट ना हो।

28. निविदादाता द्वारा स्वीकृत स्थानों के डिवाईडर पोल एवं साईड विद्युत पोल विज्ञापन पट्ट क्योस्क स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगें।

29. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) प्रदर्शन की कार्यवाही में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी/प्रतिनिधि/नौकर/अभिकर्ता आदि यदि किसी भी प्रकार किसी भी कारण से दुघर्टनाग्रस्त हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व नगर निगम, कोटा दक्षिण का नहीं होगा। इसके लिए स्वयं निविदादाता ही समस्त प्रकार के हर्जे खर्चे इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।
30. निविदादाता को विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) लगातें समय यातायात नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
31. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू सेवाकर, GST एवं अन्य कर निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।
32. किसी भी विवादास्पद मुद्दे/संशय की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
33. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
34. निविदादाता द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना करनी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तो अथवा किसी भी एक शर्त का उल्लंधन करने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं निगम कोष में स्वीकृत ठेके की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। शेष अवधि की बकाया राशि भी वापस नही लोटाई जावेगी।
35. विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) के आसपास लगे अवैध विज्ञापन पट्ट (क्योस्क) हटानें के लिए स्वयं निविदादाता अधिकृत होगा। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्देशानुसार सम्पन्न करनी होगी।
36. निविदा के लिये रिस्क एण्ड कोस्ट नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें।
37. नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे हाईटेंसन लाईट पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही रहेगी।
38. कोटा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के पार्को पर लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।
39. मेला दशहरा के अवसर पर मेला परिसर के स्थित पेराफेरी डिवाईडर रोड पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट इस निविदा से पृथक रहेंगें। (मेला अविध तक पृथक होंगे)
40. सार्वजनिक स्थानों, राजकीय भवनों की बाउण्ड्री के दीवार के सहारे लगे विद्युत पोलो पर विज्ञापन क्योस्क लगाने की अनुमति नही होगी।
41. उक्त कियोस्क ठेका दक्षिण नगर निगम मे मुख्य सडकों के डिवाईडर पर एवं साईड विद्युत पोल पर ही लागू होगा।
42. शहर की विकसित कॉलोनियों के अन्दर की तरफ विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नही होगी।
43. **<u>तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज स्वयं सूचीबद्ध कर संलग्न करें।</u>**

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तो का मैंनें भली भांति अध्ययन कर लिया है। और मैं निविदा की समस्त शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ, और पालना के लिए बाध्य हूँ।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com,

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र मे स्थापित डिवाईडर, फ्लाईओवर, साईडों पर लगे विद्युत पोलो की संख्या/सूची पार्ट "डी"

क्र.सं.	स्थान	पुराने विद्युत पोलो की संख्या	नये विद्युत पोलो की संख्या	रोड के साईड में लगे विद्युत पोलों की संख्या	कुल विद्युत पोलों की संख्या
1	रोड नं. 1 से डकनिया स्टेशन तक	20	—	—	20
2	रोड नं. 2,3,4, पर (रोड के दोनो तरफ)	—	—	50	50
3	विज्ञान नगर मेन रोड समस्त 60 फीट रोड थाने तक	60	—	—	60
4	80 फीट रोड अहलुवालियामॉल से स्टील ब्रिज तक	31	—	—	31
5	80 फीट रोड स्थील ब्रिज से बोरखेडा रोड ट्राफिक पुलिस चोकी तक	65	—	—	65
6	ऐरोड्राम से गोबरीया बावडी अण्डर पास तक	—	130	—	130
7	गोबरीया बावडी अण्डर पास से कोटा प्रवेश द्वार तक	—	60	—	60
8	ऐरोड्राम से डीसीएम रोड की तरफ (आहलुवालिया मॉल तक)	—	45	—	45
9	विज्ञान नगर जायसवाल हॉस्पिटल वाली सर्विस रोड दोनों साईट (हरमीत मेडिकल से एयरपोर्ट तक)	—	—	50	50
	कुल योग	**176**	**235**	**50**	**461**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा दक्षिण

vidhut polo ki list.12